



फॉर्म III (स्कीम-III के पैरा 3 के उप-पैरा (5) को देखें)  
Form III (Refer Sub-Para (5) of Para 3 of Scheme III)

# भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

## गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

### LICENCE FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रमाणन निकाय बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रत्यायित  
(Accredited by National Accreditation Board for Certification Bodies, New Delhi)

# Q

# M

# S

लाइसेंस सं. म.क्षे.का/क्यूएम/एल - 9001058.7  
Licence No. CRO/QM/L-9001058.7

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो  
By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016), the  
Bureau hereby grants/recertifies to

मैसर्स भारतीय कृत्रिम  
अंग निर्माण निगम  
जी.टी रोड, कानपुर  
उत्तर प्रदेश - 209 217

M/s Artificial Limbs  
Manufacturing Corporation of India  
G.T Road, Kanpur  
Uttar Pradesh - 209 217

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, आईएस/आईएसओ 9001:2015 के अनुरूप गुणता प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताएं गए पते (पत्तों) पर निर्मित/प्रदत्त/ प्रचालित किए जाएंगे।

(here in after called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Quality Management Systems Certification in respect of the products and/or services of processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address (es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with

### IS/ISO 9001:2015

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत/नवीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is granted/recertified-subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made there under governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 29 जुलाई 2023 से 28 जुलाई 2026 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा।

This licence shall be valid from 29 July 2023 to 28 July 2026 and may be recertified as prescribed in the Regulations.

2023 के जुलाई माह के बारहवाँ दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरोकित।

Signed, Sealed and dated this Twelveth day of July 2023.

( Dr. R.K Tyagi)  
Deputy Director General (Central)  
भारतीय मानक ब्यूरो के लिए  
For BUREAU OF INDIAN STANDARDS





Q

M

S

लाइसेंस सं. म.क्षे.का/क्यूएम/एल-9001058.7  
Licence No. CRO/QM/L-9001058.7

जारी : मैसर्स, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, जी.टी रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 209 217  
Issued to : M/s, Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, G.T Road, Kanpur  
Uttar Pradesh - 209 217

अनुसूची  
SCHEDULE

वे उत्पाद सेवाएं प्रक्रम जिनके संबंध में फर्म को गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस नवीकृत किया गया है

Products Services/Processes with respect to which the firm has been **recertified** the licence for Quality Management Systems Certification:

*"Design and Development, Manufacture and Supply of Prosthesis/Orthosis and its Components and other Rehabilitation Aids/Assistive devices for orthopaedically, visually and hearing impaired persons.*

*Exclusion: Clause No. 8.5.3 Property belonging to customers or external providers"*

(Dr. R.K Tyagi)  
Deputy Director General (Central)  
भारतीय मानक ब्यूरो के लिए  
For BUREAU OF INDIAN STANDARDS

